न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **159/16 (वाद)**

GCMS No. : 2016/00503

1. मांगीलाल पिता उदाजी जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी फलीचडा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. रतनलाल पिता उदाजी जाति जाट आयु 49 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती कैसर पुत्री उदाजी जाति जाट आयु 53 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल पिपलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती नारायणी पुत्री उदाजी जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल सांगो का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
5. श्रीमती नानीबाई पत्नी उदाजी जाति जाट आयु 80 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. कालूराम पिता जालूजी जाति जाट आयु 52 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

6/1 श्रीमती परथूबाई पत्नी कालू जाट निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।

6/2 श्रीमती रेखा पुत्री कालू पत्नी सम्पतलाल जाट निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

7. मोहन पिता जालूजी जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. शंकरी पुत्री जालूजी जाति जाट आयु 48 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर हाल खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
9. सुन्दरबाई जालूजी जाति जाट आयु 52 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल सांगो का खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
10. श्रीमती मोती पत्नी जालूजी जाति जाट आयु 75 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. शंकरलाल पिता मोतीजी जाति जाट आयु 50 वर्ष निवासी फलीचडा खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. भागवन्ती पुत्री मोतीजी जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. प्रेमीबाई पुत्री मोतीजी जाति जाट आयु 38 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. देवीलाल पिता वेणीराम जाति जाट आयु 27 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
15. जगदीश पिता वेणीराम जाति जाट आयु 24 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
16. कमला पत्नी वेणीराम जाति जाट आयु [illegible] वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

............वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता डालूजी जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती प्रेमीबाई पुत्री डालूजी पत्नी भूरालाल जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी हाल खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
3. श्रीमती चम्पाबाई पुत्री डालूजी पत्नी बालू जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी हाल खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
4. श्रीमती दाखीबाई पत्नी डालूजी जाति जाट आयु 72 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेशचन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 28.07.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि साबिक आराजी नम्बर 119 रकबा दो बिस्वा जो प्रतिवादीगण के मौरूस गणेश पिता खेमा जाट के नाम पर दर्ज थी जो विरासत से प्रतिवादी संख्या एक से चार के पिता/पति डालू पिता गणेश जाट के नाम पर दर्ज है जिसका पैमाइश के बाद नया नम्बर 192, रकबा नो बिस्वा दर्ज कर दिया जबकि साबिक आराजी न० 119 रकबा दो बिस्वा थी जिसका रकबा बढकर करीबन ढाई बिस्वा बनता है जो दौराने सेटलमेन्ट गलत रूप से रकबा बढ़कर नो बिस्वा दर्ज हो गयी थी। साबिक आराजी न० 120 रकबा एक बीघा सात बिस्वा जो हम वादीगण के मौरूस हरिराम पिता किशना जाट के नाम पर दर्ज रेकर्ड सेटलमेन्ट के पूर्व था जिसका नया नम्बर बाद सेटलमेन्ट 191 बना एवं उसका रकबा एक बीघा आठ बिस्वा दर्ज रेकर्ड दौराने सेटलमेन्ट कर दिया गया जबकि रकबा नई डोरी से बढकर एक बीघा पन्द्रह बिस्वा दर्ज होना चाहिए था जो गलती से एक बीघा आठ बिस्वा सेटलमेन्ट के बाद दर्ज हो गया एवं शेष सात बिस्वा भूमि प्रतिवादी के वर्तमान आराजी न0 192 मे मिलाकर उसका रकबा बढ़ाकर नो बिस्वा दर्ज कर दिया है जो हम वादीगण के साबिक आराजी न० 119 के रकबा मे से तोड़कर प्रतिवादी के वर्तमान आराजी न० 192 के साथ गलत रूप से दर्ज कर दिये गये जकि उक्त कृषि भूमि हम वादीगण के कब्जे काश्त मे [illegible] से हमारे मौरूस हरिरामजी जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

के समय से करीबन 50 से अधिक वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के प्रतिवादीगण की जानकारी मे उपयोग उपभोग कर रहे है ।

2. यह कि प्रतिवादीगण के मौरूस गणेशजी जाट के नाम पर सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी न० 119 रकबा दो बिस्वा दर्ज था जिसके नये नम्बर सेटलमेन्ट पश्चात 192 रकबा नो बिस्वा गलती से दर्ज हो गया था जबकि नई डोरी से उक्त रकबा करीबन ढाई बिस्वा ही बनता है एवं इसी प्रकार हम वादीगण के मौरूस हरिरामजी जाट के नाम पर सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी न0 120 रकबा एक बीघा सात बिस्वा थे जिसके नये नम्बर सेटलमेन्ट के पश्चात 191 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा दर्ज हुए जबकि नई डोरी से उक्त रकबा एक बीघा पन्द्रह बिस्वा करीबन बनता है इसलिए हम वादीगण उक्त अन्तर रकबा जो वर्तमान में प्रतिवादीगण की आराजी न० 192 रकबा नो बिस्वा दर्ज है उसमे से सात बिस्वा जमीन हमारी वर्तमान आराजी न० 191 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा मे जोड़ते हुए एक बीघा पन्द्रह बिस्वा का अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे स्वतन्त्र रूप से करवाने के अधिकारी है जिसके लिए यह वाद प्रस्तुत है ।

3. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि उक्त वर्णित आराजी न० 191 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा भूमि पैतृक सम्पति है और उक्त भूमि में हम वादीगण संख्या एक से पांच का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या छः से दस का 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या ग्यारह से सोलह का 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से है और मौके पर भी संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, सुविधा संतुलन भी हमारे पक्ष मे है क्योंकि उक्त कलम संख्या एक व दो मे वर्णित त्रुटि वक्त सेटलमेन्ट के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे अंकन करते वक्त हुई है और यदि उक्त गलती को सुधारा नहीं गया तो उससे जो क्षति हमे होगी उसका मूल्याकंन रूपयो पैसो मे किया जाना असंभव है जबकि उक्त त्रुटि सुधार होने पर प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी ।

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण अंतिम बार दिनांक 1–6–16 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण को हम वादीगण ने उक्त गलती सुधरवाकर इनके नाम पर अंकित वर्तमान आराजी न0 192 रकबा नो बिस्वा में से सात बिस्वा भूमि को हमारी आराजी न0 191 में समायोजित करवाने हेतु कहा परन्तु इन्होने मना कर दिया उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरंतर जारी है ।

5. अंत में निवेदन किया की वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि मौजा [illegible] खेड़ी पटवार सर्कल फलीचड़ा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

स्थित आराजी न० 192 रकबा नो बिस्वा भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या एक से चार के नाम पर अंकित है उक्त भूमि मे से सात बिस्वा भूमि कम कर हम वादीगण की वर्तमान आराजी न० 191 रकबा एक बीघा आठ बिस्वा के स्थान पर एक बीघा पन्द्रह बिस्वा घोषित फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे स्वतन्त्र रूप से खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकित फरमाई जावे व इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त आराजी न० 192 रकबा नो बिस्वा भूमि किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस की जावे तो उक्त संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज का पंजीयन नही किया जावे ।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 5 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब दावा पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रही। साक्ष्यवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 मांगीलाल पिता उदाजी जाट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा फलीचड़ा खेडी की जमाबंदी नकल संवत 2069—72 प्रदर्श 1, मौजा फलीचड़ा खेडी का आंशिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2, भू प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान पत्रक की नकल प्रदर्श 3, जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त जागीरात राज्य उदयपुर मेवाड मौजा फलीचड़ा की नकल प्रदर्श 4, मौजा फलीचड़ा खेड़ी की नकल जमाबन्दी संवत 2069—72 प्रदर्श 5 करवाए गए। जिरह राजपैरोकार द्वारा की गई। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।

7. हमने अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रदर्श 3 ग्राम फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली का भू—प्रबंध विभाग का मिलान पत्रक संवत 2023 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 119 रकबा 2 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 192 रकबा 9 बिस्वा अंकित है तथा इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि अंकित है। जमाबंदी महक्मा बंदोबस्त मेवाड़ का अवलोकन करने से भी जाहीर आया कि साबिक आराजी नम्बर 119 रकबा 2 बिस्वा भूमि अंकित है। भू—प्रबंध विभाग द्वारा किए गए सेटलमेंट से पूर्व तहसील मावली में जरीब 152.5 फीट थी सेटलमेंट के पश्चात जरीब की लम्बाई 132 फीट कर दी गई। जिससे तहसील मावली की साबिक आराजीयात के हाल आराजी नम्बर कायम करते हुए हाल आराजीयात का रकबा जरीब 152.5 फीट के बजाय 132 के अनुसार अंकित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

गया। इस प्रकरण में साबिक आराजी नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि का हाल आराजी नम्बर 191 कायम करने के पश्चात 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि का रकबा जरीब 132 फीट के अनुसार रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा होना चाहिए था, परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा हाल आराजी का भी रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा अंकित कर दिया गया। इसी प्रकार साबिक आराजी नम्बर 119 रकबा 2 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 192 का रकबा जरीब 132 फीट अनुसार का रकबा 2.5 बिस्वा अंकित होना चाहिए था, परन्तु भू –प्रबंध विभाग द्वारा 9 बिस्वा अंकित कर दिया गया।

न्ययालय का विनम्र अभिमत है कि भू–प्रबंध के दौरान भू–प्रबंध के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को किसी भी खातेदारी भूमि का रकबा बिना किसी सक्षम आदेश के कम या अधिक करने का अधिकार नही है परन्तु इस प्रकरण में फिर भी भू–प्रबंध के अधिकारियो द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया तथा वादीगण की भूमि का रकबा कम दर्ज कर दिया गया। इस संबंध में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों को भी सद्भावनापूर्वक उद्धरत किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है।

श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 जो इस प्रकार है कि हस्तगत प्रकरण में भू प्रबंध कार्यवाही से पूर्व अपीलार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज था, जिसे बिना सक्षम आदेश के भू प्रबंध विभाग ने विलोपित कर दिया। नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.10.2010 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलार्थीगण का है। अपीलार्थीगण आवंटी मृतक कमजी के विधिक वारिसान है, जो नायब तहसीलदार, गिर्वा एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा कमजी की मृत्यु के प्रमाण पत्र एवं राशनकार्ड की फोटोप्रति से प्रमाणित है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.12.1995 एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2011 व विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का आदेश दिनांक 09.09.2011 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से अपास्तनीय है, जिसे खारिज किया जाता है, साथ ही उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1996 आर.बी.जे. पृष्ठ 8 : रख्याली व अन्य बनाम स्टेट

ऑफ राजस्थान (अन्य उच्च न्यायालय)

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 – SECTION 136

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

इस प्रकार उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि भू–प्रबंध विभाग द्वारा किसी भी खातेदार का रकबा कम या अधिक दर्ज नही किया जा सकता है। परन्तु फिर भी इस प्रकरण में वादी की भूमि का रकबा कम दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण की भूमि का रकबा अधिक दर्ज किया गया है। जो कि न्यायोचित नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम फलीचड़ा खेड़ी पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069—72 के खाता संख्या 132 पर दर्ज आराजी नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा दर्ज है, के बजाय उक्त आराजी का रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांशी दर्ज किया जावे। इसी प्रकार खाता संख्या 59 पर दर्ज आराजी नम्बर 192 रकबा 9 बिस्वा भूमि दर्ज है, के बजाय उक्त आराजी का रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी दर्ज किया जावे। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज करते हुए उक्त संशोधित रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। शेष दोनो खाते बदस्तूर रहेगें।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

<u>उनवान्</u>

1. मांगीलाल पिता उदाजी जाति जाट आयु 55 वर्ष निवासी फलीचडा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. रतनलाल पिता उदाजी जाति जाट आयु 49 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. श्रीमती कैसर पुत्री उदाजी जाति जाट आयु 53 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल पिपलिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती नारायणी पुत्री उदाजी जाति जाट आयु 45 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल सांगो का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
5. श्रीमती नानीबाई पत्नी उदाजी जाति जाट आयु 80 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. कालूराम पिता जालूजी जाति जाट आयु 52 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) मृतक के बजाय

6/1 श्रीमती परथूबाई पत्नी कालू जाट निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर।

6/2 श्रीमती रेखा पुत्री कालू पत्नी सम्पतलाल जाट निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

7. मोहन पिता जालूजी जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. शंकरी पुत्री जालूजी जाति जाट आयु 48 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर हाल खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
9. सुन्दरबाई जालूजी जाति जाट आयु 52 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल सांगो का खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
10. श्रीमती मोती पत्नी जालूजी जाति जाट आयु 75 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. शंकरलाल पिता मोतीजी जाति जाट आयु 50 वर्ष निवासी फलीचडा खेडी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. भागवन्ती पुत्री मोतीजी जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. प्रेमीबाई पुत्री मोतीजी जाति जाट आयु 38 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी हाल जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
14. देवीलाल पिता वेणीराम जाति जाट आयु 27 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
15. जगदीश पिता वेणीराम जाति जाट आयु 24 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
16. कमला पत्नी वेणीराम जाति जाट आयु [illegible] वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested

............वादीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता डालूजी जाति जाट आयु 35 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी मावली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. श्रीमती प्रेमीबाई पुत्री डालूजी पत्नी भूरालाल जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी हाल खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
3. श्रीमती चम्पाबाई पुत्री डालूजी पत्नी बालू जाति जाट आयु 40 वर्ष निवासी हाल खटुकड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज०)
4. श्रीमती दाखीबाई पत्नी डालूजी जाति जाट आयु 72 वर्ष निवासी फलीचड़ा खेड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब मावली जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 159/16 (वाद) GCMS No. – 2016/00503

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम फलीचड़ा खेड़ी पटवार हल्का फलीचड़ा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 132 पर दर्ज आराजी नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा दर्ज है, के बजाय उक्त आराजी का रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांशी दर्ज किया जावे। इसी प्रकार खाता संख्या 59 पर दर्ज आराजी नम्बर 192 रकबा 9 बिस्वा भूमि दर्ज है, के बजाय उक्त आराजी का रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी दर्ज किया जावे। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रकबा दर्ज करते हुए उक्त संशोधित रकबे अनुसार ही राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। शेष दोनो खाते बदस्तूर रहेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:19:50 IST
Reason: SelfAttested